दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/ 932 10.03.2026

प्रति,

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत उभरते निर्यात अवसरों के लिए समर्थन का शुभारंभ – निर्यात प्रोत्साहन

निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) - निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत उभरते निर्यात अवसरों के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में 6 मार्च 2026 को व्यापार सूचना संख्या 32/2025-26 जारी की गई । इस योजना का उद्देश्य नए या कम विकसित बाजारों में निर्यात लेनदेन के लिए जोखिम-साझाकरण सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को निर्यात वित्त प्राप्त करने और उभरते बाजारों में विस्तार करने में सहायता करना है।

निर्यातकों को लाभ

- एक्जिम बैंक के माध्यम से **60 देशों में फैले 140 से अधिक विदेशी बैंकों** के साथ साझेदारी ।
- व्यापारिक उपकरणों के लिए ऋण संवर्धन **और जोखिम न्यूनीकरण सहायता।**
- विदेशों में स्थानीय बैंकों **के साथ सहयोग को मजबूत किया गया**
- जोखिम साझाकरण और कवरेज

एक्ज़िम बैंक 100% तक कवरेज प्रदान कर सकता है

- जोखिम स्कोर के आधार पर, जोखिम-साझाकरण सहायता **लेनदेन मूल्य के 10% से 80% तक होती है।**

- 60 से कम स्कोर वाले लेनदेन **अपात्र हैं** ।
- जोखिम सीमाएँ:
- देश की सीमा: कोष का 15%
    - निर्यातक की सीमा: 5%
    - लेनदेन की सीमा: 1%
    - जारीकर्ता बैंक की अधिकतम सीमा: 10%
    - आवेदन प्रक्रिया

MSMEs एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) उत्पन्न करने के लिए DGFT पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं

- कंपनी, उत्पादों, लक्षित बाजारों और व्यापार वित्त साधनों का विवरण प्रस्तुत करें।
- सहायता के लिए यूआईएन वाले साझेदार बैंकों से संपर्क करें।
- विदेशी व्यापार नीति और संबंधित अधिनियमों के अनुपालन की घोषणा करना अनिवार्य है।
- विस्तृत रूपरेखा और दिशा-निर्देशों के लिए आधिकारिक व्यापार सूचना हेतु कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260310112846.pdf

सदस्यों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित बैंकों के साथ समन्वय करें।

यह सूचना है

सादर

भारती परावे
उप निदेशक (व्यापार और नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल